प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 12.03.2020 को अभियंत्रण विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा किया गया। बैठक के दौरान अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी), विशेष कार्याधिकारी (यू), श्री राजीव त्यागी, महाप्रबंधक, महाप्रबंधक श्री के0के0 अग्रवाल, श्री सुधीर कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (नियोजन), वरिष्ठ प्रबंधक, वर्क सर्किल–1 से 10 एवं वरिष्ठ प्रबंधक वि0/यां0–1 से 4 उपस्थित थे।

- नौएडा क्षेत्र में सोलर पावर प्लान्ट हेतु पूर्व गठित आर.एफ.पी. में कोई भी निविदा प्राप्त न होने के परिप्रेक्ष्य में परियोजना की फिजिबिलिटी हेतु वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आई.आई.टी. रुड़की से प्राप्त परामर्श के दृष्टिगत पुनः आवश्यक संशोधन कर RESCO Model पर 10 मेगावॉट सोलर पावर प्लान्ट लगाने हेतु आर.एफ.पी. का गठन किये जाने के निर्देश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये।

- विभिन्न सैक्टरों में निर्माणाधीन कार पार्किंग को यथाशीघ्र पूर्ण करने एवं पार्किंगों के संचालन की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

- e-Cycle Docking Station हेतु आमंत्रित आर.एफ.पी. में कोई भी निविदा प्राप्त न होने के दृष्टिगत आर. एफ.पी. में संशोधन कर पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध मै0 E&Y के प्रतिनिधि को आर.एफ.पी. में निविदा शुल्क शून्य करने एवं टर्न–ओवर में शिथिलता प्रदान करने का प्रावधान करने हेतु निर्देशित किया गया है।

- ट्रैफिक कॉरिडोर इम्प्रूवमेन्ट प्लान हेतु एम.पी.–1 मार्ग हेतु सर्वे उपरान्त रिपोर्ट एवं आगणन इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु मैसर्स सी.आर.आर.आई. को निर्देशित किया गया।

- वर्क सर्किल की समीक्षा के दौरान नौएडा प्राधिकरण की विभिन्न नई प्रस्तावित की जाने वाली वाणिज्यिक, औद्योगिक, आवासीय स्कीमों के अंतर्गत अपेक्षित सूचनायें वर्क सर्किल द्वारा समय से उपलब्ध न कराये जाने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं उक्त सूचनायें समयबद्धता के साथ उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जिससे सभी योजनाओं का जन–मानस को यथाशीघ्र लाभ पहुँचाया जा सके।

- सैक्टर–145 के विकास कार्य प्रारम्भ कराये जाने के क्रम में विभिन्न अवरोधों को दूर कराये जाने हेतु स्थल पर विशेष कार्याधिकारी (यू), वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा मौके पर स्वयं जाकर समस्या का निस्तारण कराने तथा विकास कार्य को प्राथमिकता पर कराये जाने के निर्देश दिये गये।

- सैक्टर–15 मेट्रो स्टेशन के समीप निर्मित किये जाने वाले स्काई–वॉक का निर्माण कार्य बी0ओ0टी0 के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। परियोजना के अंतर्गत इण्डियन ऑयल की भूमि के सापेक्ष धनराशि न देकर विज्ञापन अधिकार दिये जाने पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये।

- पूर्व निर्मित एवं नव–निर्मित सभी फुट ओवर ब्रिज पर स्केलेटर का प्रावधान न होने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्केलेटर लगाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- नवीन परियोजना गोल्फ कोर्स, हैबीटैट सेन्टर एवं पर्थला चौक पर फ्लाईओवर की निविदा सम्बंधी कार्यवाही यथाशीघ्र कराये जाने के निर्देश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया दिये गये हैं। प्रस्तावित हैबीटैट सेन्टर में द्वितीय तल पर लाईब्रेरी का प्रावधान किये जाने के निर्देश दिये गये।

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा वर्क सर्किल द्वारा इन्फोर्समेन्ट का कार्य उचित प्रकार से न करने पर अप्रसन्नता प्रकट करते हुए सभी वर्क सर्किल के वरिष्ठ प्रबंधक को चेतावनी देते हुए इस सम्बंध में सम्बंधित विभागों का एक स्ट्रक्चर बनाते हुए इन्फोर्समेन्ट पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

- विकास कार्यो की निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भी अनुबंध गठित न होने के दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि न्यूनतम निविदाकार को जारी होने वाले स्वीकृति पत्र में वांछित प्रपत्रों को प्राप्त किये जाने की अवधि को 10 दिन तक सीमित रखा जाये। इसके उपरांत सम्बंधित निविदा को निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित की जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी की स्वीकृति उपरांत एक सप्ताह तक की अतिरिक्त अवधि न्यूनतम निविदाकार को प्रदत्त की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

- सभी विलोपित कूड़ाघरों का कार्य मार्च माह के अन्दर पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये। दिनांक 24.03.2020 एवं 31.03.2020 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा विलोपित कूड़ाघरों को जन–मानस को लोकार्पित किया जायेगा।
- नियोजन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा नौएडा प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण परियोजना सैक्टर–151 में निर्मित किये जाने वाले नवीन गोल्फ कोर्स का नाम साउथ नौएडा गोल्फ कोर्स सैक्टर–151 किये जाने तथा सैक्टर–151ए में ग्रीनफील्ड हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु शीघ्र Letter of Intent (LOI) जारी करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये।
- सैक्टर–151ए में गोल्फ कोर्स के संचालन हेतु नियमावली फाईनल करने हेतु नियोजन विभाग को निर्देशित किया गया।
- स्टार्ट–हब हेतु द्वितीय बार में भी फर्मो द्वारा रुचि न दिखाये जाने के क्रम में निर्देशित किया गया कि निविदा की शर्तो में मॉडिटोरियम की अवधि 06 माह एवं संचालन की अवधि 15 वर्ष कर ली जाये।
- विद्युत/यांत्रिकी विभाग के कार्यो की समीक्षा के दौरान नौएडा स्टेडियम के अवशेष विद्युत कार्यो को 31 मई, 2020 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
- सैक्टर–16ए एवं सैक्टर–3 की पार्किंग में विद्युत के कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
- फसाड लाईटिंग का कार्य दिनांक 01.05.2020 से प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये।
- ITMS का कार्य अप्रैल, 2020 के अन्तिम सप्ताह से प्रारम्भ कराने एवं प्रवेश द्वार एवं चौराहो पर फौव्वारों का कार्य 15 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
- लेजर एवं साउण्ड का कार्य 15 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
- एल0ई0डी0 तिरंगा स्ट्रिप लाईट की निविदा 31 मार्च, 2020 तक प्रकाशित कराने के निर्देश दिये गये।
- दिनांक 11.03.2020 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा एस0एस0ई0जेड0 से हिण्डन नदी तक किये गये निरीक्षण एवं ट्वीटर पर प्राप्त सैक्टर–93 से सम्बंधित शिकायत के निस्तारण में शिथिलता बरतने के कारण विद्युत/यांत्रिक–प्रथम में हेल्पर, इलैक्ट्रिशियन, अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

Scanned with CamScanner

पत्रावली